प्रेषक,

अधिशासी अभियन्ता,
नलकूप खण्ड बाराबंकी।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांकः 1095 /न0ख0बा0/नीलामी/ **दिनांक : बाराबंकी : जुलाई 22 , 2020**

विषय : निष्प्रयोज्य सामग्री की सार्वजनिक नीलामी सूचना का प्रकाशन।

महोदय,

इस कार्यालय के अधीन निष्प्रयोज्य सामग्री की नीलामी हेतु नीलामी सूचना संख्या 02/अ0अ0/2020–21 06 प्रतियों में सी0डी0 सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि इसका प्रकाशन प्रचलित प्रमुख समाचार–पत्रों में प्रकाशित करने की कृपा करें।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।
(नोटिस 06 प्रतियों में सी.डी. सहित)

भवदीय,

अधिशासी अभियन्ता,
नलकूप खण्ड बाराबंकी

पत्रांकः– /न0ख0बा0/तदिनांकः

प्रतिलिपि निविदा सूचना की प्रति सहित उच्चाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. जिलाधिकारी महोदय, जनपद–बाराबंकी।
2. अधीक्षण अभियन्ता, कम्प्यूटर केन्द्र, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई भवन लखनऊ। (सी0डी0 सहित)
3. अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप मण्डल अयोध्या।
4. अधिशासी अभियन्ता, बाराबंकी प्रखण्ड बाराबंकी/ अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ कार्य खण्ड बाराबंकी/ अधिशासी अभियन्ता, शारदा सहायक खण्ड–28, हैदरगढ़, बाराबंकी।
5. प्रभारी निरीक्षक, थाना कोतवाली बाराबंकी।
6. खण्डीय लेखाकार, नलकूप खण्ड, बाराबंकी।
7. सहायक अभियन्ता–प्रथम/ द्वितीय/ तृतीय, नलकूप खण्ड, बाराबंकी।
8. खण्डीय कैशियर, नलकूप खण्ड बाराबंकी।
9. नोटिस बोर्ड हेतु।

अधिशासी अभियन्ता,
नलकूप खण्ड, बाराबंकी

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
नलकूप खण्ड बाराबंकी

पत्रांक :1094 /न0ख0बा0/नीलामी /2020-21 दिनांक : बाराबंकी : जुलाई 22, 2020

सार्वजनिक नीलामी सूचना संख्याः 02/अ0अ0/2020–21

महामहिम राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश की ओर से प्रमुख अभियन्ता (यां0), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0, लखनऊ के अधीनस्थ मुख्य अभियन्ता (नलकूप पूर्व) परिक्षेत्र के नलकूप मण्डल, अयोध्या के नियन्त्रणाधीन नलकूप खण्ड बाराबंकी में निष्प्रयोज्य सामग्री पी0वी0सी0 जला हुआ तांबे का तार की सार्वजनिक नीलामी तालिका में अंकित तिथि को नलकूप खण्ड बाराबंकी के कार्यालय प्रांगण में की जायेगी।

बोलीदाताओं को निर्धारित शर्तो का पालन करना होगा। सार्वजनिक नीलामी वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1, नियम- 260 ए के परिशिष्ट 19 डी में उल्लिखित नियम व शर्तों के अधीन होगी। इच्छुक व्यक्ति/ फर्म को नीलामी की नियत तिथि दिनांक 20.08.2020 को प्रातः 11:00 बजे से अपराह्न 13:00 बजे तक लाट के लिये निर्धारित टोकन मनी का बैंक ड्राफ्ट/ एफ0डी0आर0 जमा करना होगा। जांचोपरान्त अर्ह बोलीदाताओं की सूची निर्गत की जायेगी तथा उसी दिन अपराह्न 14:00 बजे से नीलामी की कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी। नियमानुसार नियत तिथि को अर्ह बोलीदाताओं की सूची में अंकित व्यक्ति/ फर्म को ही बोली बोलने का अधिकार प्राप्त होगा। नीलामी में कोई भी एक बोली अथवा समस्त बोली बिना कारण बताये अस्वीकार/ निरस्त करने का अधिकार नीलामीकर्ता/ अध्यक्ष के पास पूर्णरूप से सुरक्षित रहेगा। नीलामी हेतु अंकित सामग्री की मात्रा को घटाया/ बढ़ाया जा सकता है।

सामग्री का विवरण →	PVC Burnt Copper Wire (Quantity)	नीलामी की प्रस्तावित तिथि
1	2	4
मात्रा (अनुमानित) →	1600.00 Kg	20.08.2020
टोकन मनी की धनराशि →	Rs. 47000.00	

1. उक्त सार्वजनिक नीलामी से सम्बन्धित समस्त विवरण एवं विस्तृत शर्तें तथा बिडिंग डाक्यूमेन्ट वेबसाईट http://idup.gov.in पर उपलब्ध रहेगी। निविदादाताओं से अनुरोध है कि वे उक्त वेबसाईट को नियमित रूप से देखते रहें, ताकि किसी प्रकार के संशोधन/ शुद्धि की स्थिति की जानकारी उनको समय से प्राप्त हो सके।
2. नीलामी को बिना किसी कारण बताये निरस्त करने का अधिकार नीलामी समिति में निहित होगा।
3. नीलामी की प्रस्तावित तिथि को राजपत्रित अवकाश घोषित होने की दशा में अथवा किसी अन्य कारण से कार्यालय बन्द होने की स्थिति में अगले कार्यदिवस को नीलामी की तिथि माना जायेगा।
4. कोविड-19 के संक्रमण के दृष्टिगत प्रचलित प्रोटोकाल का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

अधिशासी अभियन्ता,
नलकूप खण्ड बाराबंकी

:– नियम एवं शर्तें :–

1. उपरोक्त सामान की नीलामी से पूर्व लॉट की बोली हेतु टोकन मनी की धनराशि बैक ड्राफ्ट/ एफ0डी0आर0 के रूप में खण्डीय कैशियर के पास जमा करनी होगी, जो कि **'अधिशासी अभियन्ता नलकूप खण्ड बाराबंकी'** के नाम बंधक होनी चाहिए।
2. उपरोक्त सामग्री की नीलामी **'जैसी है, जहां है'**, के आधार पर की जायेगी।
3. उपरोक्त सामग्री को किसी भी कार्य दिवस में नीलामी की तिथि से एक दिन पूर्व तक इस खण्ड के सहायक अभियन्ता–प्रथम एवं सम्बन्धित अवर अभियन्ता, भण्डार से सम्पर्क कर स्टोर पर देखा जा सकता है।
4. बिना धरोहर राशि (बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक) जमा कराये कोई भी व्यक्ति/ फर्म नीलामी में भाग नही ले सकेगा।
5. नीलामी हेतु समस्त निर्णय का पूर्ण अधिकार नीलामी समिति के पास सुरक्षित होगा तथा इसके लिये कारण बताना अनिवार्य नहीं होगा।
6. अधिकतम बोली बोलने वाले व्यक्ति/फर्म को अपनी बोली का 25 प्रतिशत धनराशि टोकन मनी को सम्मिलित करते हुये बैंक ड्राफ्ट/ एफ0डी0आर0 के रूप में जमा करनी होगी अन्यथा उसके द्वारा नीलामी से पर्वू जमा कराई टोकन मनी की धनराशि विभागीय हित में जब्त कर ली जायेगी।
7. बोली की धनराशि पर नियमानुसार जी0एस0टी0 तथा अन्य सभी कर उच्चतम बोली बोलने वाले व्यक्ति/फर्म को देना होगा।
8. नीलामी स्वीकृति उपरान्त जी0एस0टी0 का भुगतान भारतीय स्टेट बैंक के ड्राफ्ट के माध्यम से ही मान्य होगा।
9. नीलाम की जाने वाली सामग्री की पूर्ण लॉट जिस अवस्था में है, उसी अवस्था में नीलाम की जायेगी।
10. नीलामी किये गये सामान की नीलामी की स्वीकृति सक्षम अधिकारी के द्वारा स्वीकृत होने पर अधिकतम बोली बोलने वाले व्यक्ति को रजिस्टर्ड पत्र के द्वारा सूचना दी जायेगी और सूचना देने के 15 दिन के अन्दर नीलामी की अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि सभी करों सहित जमा करनी होगी अन्यथा उनके द्वारा जमा की गई 25 प्रतिशत धनराशि विभागीय हित में जब्त कर ली जायेगी तथा सामग्री दूसरे अधिकतम बोली बोलने वाले व्यक्ति/ फर्म के पक्ष में सक्षम अधिकारी के द्वारा स्वीकृत होने पर नियमानुसार दी जा सकती है।
11. स्वीकृति पत्र प्राप्त होने के उपरान्त उसमे दी गई समय अवधि के अन्दर अधिकतम बोलीदाता को सामग्री उठानी अनिवार्य होगी, समयावधि मे सामग्री न उठाने की दशा में अगर सामग्री में कोई क्षति होती है तो बोलीदाता स्वंय उत्तरदायी होगा।
12. फर्म अथवा बोलीदाता द्वारा अधिकृत व्यक्ति ही नीलामी में भाग ले सकेगें। फर्म के अधिकृत हस्ताक्षरी के अतिरिक्त यदि कोई व्यक्ति नीलामी में भाग लेता है तो उसे फर्म के अधिकृत हस्ताक्षरी की ओर से वैध प्राधिकार पत्र जिस पर हस्ताक्षर एवं फोटो प्रमाणित हों, प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति नीलामी में भाग नही ले सकेगा।
13. नीलामी से सम्बन्धित अन्य शर्तें नीलामी से पूर्व बता दी जायेंगी। निर्धारित शर्तों का बोलीदाता को पालन करना अनिवार्य होगा।
14. **फर्म व बोलीदाता के पास जी0एस0टी0 नम्बर, पैन, फोटो पहचान पत्र, जिलाधिकारी स्तर से निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र नीलामी से पूर्व आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा।**
15. विज्ञप्ति में सूचित किसी भी सामान की मात्रा कम या अधिक हो सकती है।
16. नीलामी के पश्चात यदि नीलामी की स्वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत नहीं की जाती है, तो बोलीदाता के द्वारा जमा की गई धनराशि वापिस कर दी जायेगी और उस स्थिति में बोलीदाता का किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति/ ब्याज इत्यादि का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
17. नीलामी प्रक्रिया से पूर्व बोलीदाता को अपना नाम/ हस्ताक्षर समिति द्वारा उपलब्ध कराये गये रजिस्टर में दर्ज कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा उसकी बोली अभिलिखित नहीं की जायेगी।
18. अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होने पर समिति को नीलामी निरस्त करने का अधिकार नीलामी समिति के पास होगा।
19. नीलामी बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार समिति के पास सुरक्षित होगा।
20. नीलामी में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो उसका आर्बीट्रेशन अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप मण्डल, अयोध्या के द्वारा किया जायेगा, जो बोलीकर्ता को मान्य होगा।
21. किसी भी विवाद की स्थिति में प्रकरण यदि अधीक्षण अभियन्ता महोदय, नलकूप मण्डल अयोध्या से ऊपर जाता है तो प्रकरण बाराबंकी न्यायालय में ही मान्य होगा।
22. समस्त प्रकार के बैंक ड्राफ्ट ' स्टेट बैंक आफ इण्डिया ' जो ' बाराबंकी ' में देय हों ही स्वीकार किये जायेंगे।

अधिशासी अभियन्ता,
नलकूप खण्ड बाराबंकी